संख्याः 1342/I(2)/2013-04/05/2012(T.C)

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनेरी माली द्वितीय चरण परियोजना के पूंजीगत कार्यों हेतु अंशपूजी की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया यूजेवीएनएल के पत्र संख्या 1067/यूजेवीएनएल/प्रनि/ए–17,(13–14) दिनांक 22.06 2013 एवं 1037/यूजेवीएनएल/प्रनि/ए–7 (13–14) दिनांक 24.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करें इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनेरी भाली द्वितीय चरण की स्वीकृत लागत के सापेक्ष ऐसे अवशेष कार्यों जो आवश्यक है,को पूर्ण करने हेतु अनुमन्य अवशेष अंशपूजी के विरूद्व रू0 15.56 करोड़ (रू0 पन्द्रह करोड छप्पन लाख मात्र) की धनराशि राज्य सरकार की अंशपूंजी के रूप में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) अवमुक्त की जा रही अंशपूजी धनराशि का व्यय परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृत लागत के सापेक्ष ऐसे अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु ही किया जायेगा जिन्हें परियोजना हित में किया जाना आवश्यक है।

(ii) यूजेवीएनएल द्वारा उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय, साथ ही ऐसे अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित ऋण भी यथाशीघ्र/समयवद्व रूप से अवमुक्त करा ली जाय।

(iii) उक्त स्वीकृत धनराशि का उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के निदेशक, वित्त द्वारा तैयार बिलों पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को वापस कर दिया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2014 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi)– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(vii) भविष्य में परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण का आहरण एवं अंशपूजी के रूप में धनावंटन का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में निर्धारित अनुपात के अनुसार साथ–साथ किया जायेगा।

(viii) निगम प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कराये कि शासन से अब तक उसे विभिन्न योजनाओं हेतु निर्गत अंशपूजी तथा वर्तमान सहित आगे अवमुक्त होने वाली अंशपूजी(ऊर्जा विकास निधि सहित) के सापेक्ष इस समबन्ध में निर्धारित मानकों के अनुसार लाभांश Return on Equity–ROE टैरिफ से प्राप्त हो जाए तथा प्रतिवर्ष तद्नुसार मानक आधार पर ROE राज्य सरकार के पक्ष में राजकोष में जमा कराई जाये। इस सम्बन्ध में ROE से प्रतिवर्ष प्राप्त हाने वाली एवं जमा धनराशि के सम्बन्ध में परियोजनावार विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ix) परियोजना से उत्पादित विद्युत के टैरिफ में आ रही समस्याओं का शीघ्रतिशीघ्र निराकरण करा लिया जाय एवं पर्याप्त टैरिफ की स्वीकृति सुनिश्चित करा ली जाय तथा कुल अंशपूजी के सापेक्ष निर्धारित मानक अनुसार ROE(Return On Equity) टैरिफ से प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखा शीर्षक 4801– बिजली परियोजनाओं के लिए पूंजी गत परिव्यय 01–जल विद्युत उत्पादन 190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 06–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश 30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 241/XXVII(2)/2013, दिनांक 11जुलाई, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

संख्याः 1351–I(2)/2013-04/05/2012(T.C), तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार, आडिट इन्दिरा, नगर देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8– विशेष सैल, ऊर्जा।
9– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।